राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
39/2023	13.07.2023	09.10.2025

बउनवान

1. रामप्रसाद पुत्र कन्हैया, निवासी जटवाडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. फजलूदीन पुत्र कन्हैया, निवासी जटवाडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. कम्पूरी पत्नी कन्हैया, निवासी जटवाडा, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थीगण/सायलान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर दौसा, राजस्थान ।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, मण्डावर, दौसा।
3. मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) जयपुर।
4. उप–वन संरक्षक (डीएफओ) दौसा।
5. क्षेत्रीय वन अधिकारी महवा, दौसा।

..अप्रार्थीगण/गैरसायलान

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री धर्मसिंह राजपूत।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि विवादित आराजी खसरा सं. 1091 रकबा 0.66 हैक्टे. ग्राम जटवाडा, पटवार हल्का जटवाडा, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। उक्त खसरा सं. के साबिक खसरा सं. 1 मिन रकबा 330 बीघा 15 बिस्वा ग्राम जटवाडा, तहसील महवा से मिलकर बना है। विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 1 मिन में से 2 बीघा रकबा सायलान के पिता एवं पति कन्हैया पुत्र घुड्या उर्फ धन्या के नाम भूमि नहीं होने के कारण अर्थात् भूमिहीन होने के कारण जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अलॉट सन् 1965 में किया गया था जिस पर उसी समय से सायलान के पिता एवं पति कन्हैया काबिज रह कर काश्त कर मुफीद होता चला आ रहा है। उक्त रकबा जो कि सायलान के पिता एव पति को अलॉट हो गया, उसके बाद वह उस पर काबिज चला आ रहा था जिसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड खसरा परिवर्तनशील आदि में अंकित किया हुआ है जिस कब्जे को वर्तमान में करीब 58 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है अब जबकि सायलान के पिता एवं पति की मृत्यु हो चुकी है तो उसकी मृत्यु के बाद सायलान उक्त भूमि पर खसरा नबर हाल 1091 रकबा 0.66 हैक्टे. वाके ग्राम जटवाडा, तहसील मण्डावर पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है जिसमें किसी भी व्यक्ति की कभी कोई आपत्ति नहीं रही

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

है। इसकी जानकारी गैरसायलान को शुरू से ही रही है। सायलान के पिता एवं पति कन्हैया पुत्र धूड्या उर्फ धन्ना को जिस समय उक्त भूमि अलॉट हुई, उसके बाद वह यह समझता रहा कि उसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड कागजात में हो गया होगा। इस कारण उसने राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात कराने की कोशिश नहीं की तथा किसी भी गैरसायलान द्वारा उन्हें काश्त करने से रोका भी नहीं था तथा आज भी मोके पर सायलान काबिज काश्त है लेकिन अब वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि वन विभाग के खाते में दर्ज होने के कारण वन विभाग द्वारा उक्त भूमि की बाउण्ड्रीवाल की जा रही है तथा इस हेतु वहां नींव खोदी जा रही है तो सायलान के कब्जेशुदा खसरा नम्बर 1091 की भी नींव खोदने जब जे.सी.बी. लेकर वन विभाग के कर्मचारी आये। सायलान ने उनसे कहा कि उक्त आराजी खसरा नं. 1091 तो हमारी कब्जे काश्त एवं हमारे पिता एवं पति को अलॉट हुई भूमि है जिस पर करीब 58 वर्ष से लगातार हम काबिज चले आ रहे है। तब वन विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि उक्त भूमि की खातेदारी हमारे नाम है। इस कारण हम तो उक्त भूमि की बाउण्ड्रीवाल करेगें तथा इसमें पेड पौधे लगायेगे तथा अब तुम्हें उक्त भूमि में काश्त नहीं करने देगे। तब हम सायलान द्वारा गैरसायल सं. 1 व 2 से सम्पर्क किया तथा गैरसायल सं. 2 ने राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हमें बताया कि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के खाते में ही चली आ रही है। तब हमने अलॉटमेण्ट तथा खसरा परिवर्तनशील आदि की नकल उन्हें देकर इसे दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया तो गैरसायलान ने कहा कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपका बहुत पुराना मामला है, आप सक्षम न्यायालय से आदेश करा कर लाओं और अपनी खातेदारी खुलवाओं। तब ही हम कुछ कर सकते है। इस कारण उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जाना लाजिम आया है। खसरा नम्बर 1091 के साबिक खसरा नम्बर 1 मिन से 2 बीघा भूमि सायलान के पिता एवं पति कन्हैया के नाम अलॉट हुई भूमि है जिसमें गैरसायलान का कोई संबंध किसी भी प्रकार का नहीं है तथा वक्त अलॉटमेण्ट सन् 1965 से ही सायलान उक्त आराजी पर काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे है जिसकी पूर्णतया जानकारी गैरसायलान को रही है जिसे करीब 58 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। इस कारण उक्त भूमि पर सायलान को एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदारी अपने नाम कराने के अधिकारी है जबकि सायलान भूमिहीन होने के कारण उनके पास उक्त खसरा नम्बर के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की कोई भूमि नहीं है। लिहाजा सायलान राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने का तथा उक्त खसरा नं. 1091 की खातेदारी अपने नाम कराने के विधिक रूप से अधिकारी है। इस कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना लाजिम आया है। दिनांक 01.07.2023 को गैरसायलान एवं सायलान के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी की बाउण्ड्रीवाल करने के उदेश्य से नींव खोदने हेतु जे.सी.बी. लेकर आये और सायलान द्वारा कहने पर उनके द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती हेतु कहा। तब सायलान द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकल निकलवा कर तथा नकल मिलने के बाद गैरसायलान से इसे दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश लाने को दिनांक 07.07.2023 को कहा जिस पर बिना किसी देरी के उक्त दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कारण प्रार्थना पत्र के लिये बिनाय दावा एवं बिनाय मुखास्मत पैदा हुआ है। गैरसायलान का सायलान की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उक्त आराजी खसरा नम्बर 1091 से कोई लेना देना नही है। यदि गैरसायलान सायलान को उक्त आराजी में बेदखल करने की धमकी में सफल हो गये तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिये सायलान को यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान प्रस्तुत करना लाजिम आया है। प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर करीब 59 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है तथा इस पर अप्रार्थीगण का कभी कब्जा ही नहीं रहा है। इसलिये प्रथम दृष्ट्या केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। गैरसायलान को पाबंद नहीं किया गया तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिये अप्रार्थीगण/गैरसायलान को पाबंद किया जाना जरूरी है। अतः अर्ज है कि गैरसायलान को दौराने दावा इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो सायलान के स्वामित्व एवं आधिपत्य का खसरा नं. 1091 रकबा 0.66 हैक्टे. ग्राम जटवाडा, तहसील मण्डावर में सायलान के कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की कोई रूकावट, मजाहमत, मदाखलत बेजा ना तो स्वयं करे और ना ही किसी दीगर व्यक्तियों से ही करावे। प्रार्थीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने दें। मौके व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति को यथावत बनये रखे।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 05 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गया।

3. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

4. पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वादपत्र घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के अनुसार, वर्तमान में विवादित आराजीयात के प्रार्थीगण दर्ज रिकॉर्ड खातेदार नहीं हैं। प्रार्थीगण वादपत्र के जरिये उक्त आराजी पर उनके पूर्वज को हुए आवंटन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा व दुरुस्ती इन्द्राज का अनुतोष चाहता है। अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का कोई जवाब न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। लम्बे समय से प्रार्थीगण उक्त भूमि पर कब्जा कर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादपत्र के लम्बित रहने की अवधि में उक्त भूमि पर, यदि अप्रार्थी सं. 3 ता 5 के द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे में नींव खोदकर दीवार का निर्माण किया जाता है तो प्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी तथा काश्त में बाधा होगी। इस कारण सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक, विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुँचाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

6. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम जटवाडा, पटवार हल्का जटवाडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 1091 रकबा 0.66 हैक्टे. के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, अप्रार्थी सं. 3 ता 5 के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थी सं. 3 ता 5 विवादित आराजी खसरा सं. 1091 में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की कोई रूकावट, मजाहमत, मदाखलत बेजा ना तो स्वयं करे और ना ही किसी दीगर व्यक्तियों से ही करावें। वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 09.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)